

बिहार सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग।

सं0सं0-प्र0-1-रा0(वि0)-05/18-.....3960...../एम0, पटना, दिनांक-10/10/18
प्रेषक,

E-mail/
Fax/Whats-app/
Web

सेवा में,

सुशील कुमार,
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती/सुश्री चाँदनी कुमारी,
खनिज विकास पदाधिकारी, (संविदा)
जिला खनन कार्यालय, नवादा।

मो० रजा अंसारी,
श्री सुनील कुमार,
खनिज विकास पदाधिकारी, (संविदा)
जिला खनन कार्यालय, भोजपुर (आरा)

मो० एजाज अख्तर,
खनिज विकास पदाधिकारी, (संविदा)
जिला खनन कार्यालय, बाँका।

श्री राकेश रंजन झा,
सुश्री बीणा कुमारी,
खनिज विकास पदाधिकारी, (संविदा)
जिला खनन कार्यालय, औरंगाबाद।

श्री प्रसून पराग,
खनिज विकास पदाधिकारी, (संविदा)
जिला खनन कार्यालय, भागलपुर।

श्री राजीव कुमार भारती,
खनिज विकास पदाधिकारी, (संविदा)
जिला खनन कार्यालय, सारण।

श्री राज कुमार,
खनिज विकास पदाधिकारी, (संविदा)
जिला खनन कार्यालय, कैमूर (भभुआ)।

श्रीमती एकता जायसवाल,
खनिज विकास पदाधिकारी, (संविदा)
खान एवं भूतत्व (मुख्यालय)।

श्रीमती सारिका गुप्ता,
खनिज विकास पदाधिकारी, (संविदा)
जिला खनन कार्यालय, गोपालगंज।

सुश्री सुमन कुमारी,
खनिज विकास पदाधिकारी, (संविदा)
जिला खनन कार्यालय, वैशाली।

श्री मितु कुमारी,
खनिज विकास पदाधिकारी, (संविदा)
जिला खनन कार्यालय, मुजफ्फरपुर।

मो० जावेद इकवाल,
खनिज विकास पदाधिकारी, (संविदा)
जिला खनन कार्यालय, बेतिया।

विषय:- संविदा नियोजित सेवा समाप्त किये जाने के संबंध मे।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-2401 दिनांक 18.07.2007 के तहत विभाग में स्थायी रूप से सृजित खनिज विकास पदाधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध संविदा पर आपका नियोजन किया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना द्वारा विभाग के अधियाचना के आलोक में खनिज विकास पदाधिकारी के 12 (बारह) पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा की गयी है एवं उनको जिला खनन कार्यालयों/मुख्यालय में पदस्थापन की कार्रवाई विभाग द्वारा किया जाना है। आपका नियोजन विभाग में प्रथम छः माह, विशेष परिस्थिति में अगले छः माह अथवा बिहार लोक सेवा आयोग से नियमित नियुक्ति होने तक के लिए की गयी है। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-2401 दिनांक 18.07.2007 के तहत हुए एकरारनामा की कॉडिका-9 के तहत नियोजन संविदा समाप्त करने के पूर्व आपको एक महीने की सूचना से संबंधित नोटिस विभागीय पत्रांक 3670 दिनांक 14.09.2018 से दी गयी है।

अतः आपकी संविदा सेवा दिनांक 13.10.2018 (अपराहन) के प्रभाव से समाप्त की जाती है एवं निदेश दिया जाता है कि यदि आपको विभाग की ओर से किसी प्रकार की कोई सामग्री उपलब्ध करायी गयी है तो उसे संबंधित जिला खनन कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/-

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक..... 3960 एम0, पटना, दिनांक..... 10/10/18

प्रतिलिपि:-सभी उप निदेशक/सभी सहायक निदेशक/सभी खनिज विकास पदाधिकारी/सभी खान निरीक्षक को सूचनार्थ प्रेषित।

2. निदेश दिया जाता है कि अपने स्तर से भली-भाँति जाँच ले कि अपने अधीन कार्यरत खनिज विकास पदाधिकारी (संविदा) पर विभाग की कोई देयता या कोई विभागीय सामग्री/परिचय पत्र इत्यादि न हो।





सरकार के अवर सचिव